



### APPLICATION FOR REVALUATION OF ANSWER BOOKS

CANDIDATE SHOULD GO THROUGH THE RULES CAREFULLY BEFORE FILLING UP THIS FORM. THIS APPLICATION FORM IS TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE CANDIDATE ONLY. APPLICATION SUBMITTED ON BEHALF ON THE CANDIDATE OF INCOMPLETE WILL BE REJECTED. THE FORM SHOULD BE DULY FORWARDED BY THE CONCERNED HEAD OF THE INSTITUTION.

Name of Examination:
Roll No.:

To,  
The Registrar,  
Ayush And Health Sciences University Of Chhattisgarh  
G. E. Road, Raipur (C.G.)

Sir,  
I request you to permit me to get my answer book(s) revalued in the applied subject/paper  
The necessary particulars are as follow:

1.	Name of the Candidates (Block Letters)								
2.	Father's Name								
3.	Address for correspondence with pin code.								
4.	Enrollment No.								
5.	Name of the Exam. Centre	Date of Publication of Result							
6.	Roll No.								
7.	Paper(s) in which revaluation is desired (Maximum of Two Papers)	S. No.	Subject			Marks obtained	Out of		
		1.							
		2.							

#### DECLARATION

- I hereby declare that I have gone through the provisions of Revaluation as mentioned in Ordinance 2 and they shall be binding on me.
- I hereby further declare that the result of the Revaluation shall be binding on me and I shall accept the revised marks of Revaluation and will not hold the University responsible for the same.

Signature of the Head of the Institution

Signature of the Applicant  
Tel. No.:  
Mobile No.:

**पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश**  
(अध्यादेश क्रमांक 02 के प्रावधान के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के निर्णयानुसार)

1. परीक्षार्थी विष्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करें।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय के प्राचार्य/अधिष्ठाता के माध्यम से विष्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन इस पते पर भेजें :-  
कुलसचिव,  
छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विष्वविद्यालय रायपुर 492010  
लिफाफे पर पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) अवष्य अंकित करें।
3. आवेदन पत्र सोच समझकर सही-सही भरा जावे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र संबंधित/अधिकृत महाविद्यालय से या विष्वविद्यालय कार्यालय से रु. 20/- नगद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. परीक्षा परिणाम निर्गमन तिथि से पन्द्रह दिन के अवधि में पुनर्मूल्यांकन शुल्क रुपये 300/- प्रति प्रश्न-पत्र पर जमाकर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
6. निर्धारित शुल्क विष्वविद्यालय में सीधे नगद जमा किया जा सकता है, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. पुनर्मूल्यांकन हेतु अंकसूची की प्रतिलिपि (सत्यपित) लगाना अनिवार्य है।
8. समस्त संकाय के स्नातक परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप सम्मिलित छात्र अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों का पुनर्मूल्यांकन करवाने के पात्र होंगे जिसमें ओरल और आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांक को छोड़कर लिखित (THEORY) परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त हुए हो। दो प्रश्न-पत्रों के लिए अलग-अलग दो आवेदन-पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में प्रश्न-पत्रों के लिए निवेदन किया जा सकता है।
9. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
  - क. पूरक/ए.टी.के.टी. की हैसियत से सम्मिलित द्वितीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  - ख. प्रायोगिक परीक्षाओं के
  - ग. स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन की पात्रता नहीं है।
10. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की सूचना/जानकारी संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी।
11. परीक्षार्थियों की पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) गोपनीय विभाग को लिखित अवगत करना आवश्यक है, ताकि इस संबंधित में कार्यवाही किया जा सके।
12. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में कम या अधिक प्राप्त अंकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जावेंगे।
13. पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं, तो विष्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जावेगा।

**कुलसचिव**

Signature of the Applicant

Tel.No. : .....

Mobile No. : .....